Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के आरोपी विकास कोपुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष 07 माह का कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त विकास पुत्र हरपाल निवासी ग्राम ककौर कलां थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने, कार्यसरकार में बाधा डालने व गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 88/2022 धारा 332/336/353/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में मु0अ0सं0 290/12 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 296/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 12.01.2026 को मा0 न्यायालय ए.सी.जे.एम. जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विकास को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 07 माह के कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police baghpatpolice @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 12.01.2026

थाना छपरौली पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 01/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000/- रुपये के इनामी अभियुक्त शावेज को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के कुशल निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाना छपरौली के मु0अ0सं0 01/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000/- रुपये इनामी शावेज अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शावेज पुत्र इशरार निवासी मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त शावेज का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 - 38/25 धारा - 190/191(2)/191(3)/103(1)/61(2) बीएनएस थाना छपरौली जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0- 01/26 धारा - 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री आशीष कुमार थाना छपरौली बागपत।
2-सर्विलांस सैल प्रभारी श्री संजय कुमार मय टीम
3-नि0अ0 श्री अश्वनी कुमाप थाना छपरौली बागपत
4-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना छपरौली बागपत
5-उ0नि0 श्री रोहित कुमार थाना छपरौली बागपत
6-का0 594 सरफराज थाना छपरौली बागपत
7-का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली बागपत
8-का0 411 पीयूष त्यागी थाना छपरौली बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 12.01.2026

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने नाबालिक गुमशुदा 02 बच्चों को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के गुमशुदा 02 बच्चों को अथक प्रयास के बाद 12 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उनके परिजनो के सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा थाना रमाला पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना रमाला जिला बागपत।

2-है0का0 807 सचिन कुमार थाना रमाला जिला बागपत।